अंक 1
संख्या 5

शुक्रवार,
13 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव..... 1

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, 13 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे प्रारम्भ हुई। चेयरमैन (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) ने सभापति का आसन ग्रहण किया था।

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव

***सभापतिः** पं. जवाहरलाल नेहरू अब वह प्रस्ताव पेश करेंगे जो उनके नाम से है।

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू (यू.पी. : जनरल): साहेब सदर, कई दिनों से यह कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली (Constituent Assembly) अपनी कार्यवाही कर रही है। अभी तक कुछ जाब्ते की कार्यवाही हुई है और अभी और जाब्ते की कार्यवाही बाकी है। हम अपना रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आइन्दा उस साफ जमीन पर विधान की इमारत खड़ी करें। यह जरूरी काम था लेकिन मुनासिब है कि कब्ल इसके कि हम और आगे बढ़ें इस बात को साफ कर दें कि हम किधर जाना चाहते हैं, हम देखते किधर हैं और कैसी इमारत हम खड़ी करना चाहते हैं। जाहिर है कि ऐसे मौकों पर किसी तफसील में जाना मुनासिब नहीं होगा। वह तो आप बहुत गौर करके इस इमारत की एक-एक ईंट और पत्थर लगायेंगे। लेकिन जब कोई इमारत बनाई जाती है तो उसके पहले कुछ-कुछ नक्शा दिमाग में मौजूद होता है और ईंट-पत्थर जमा किये जाते हैं। हमारे दिमागों में एक जमाने से आजाद हिन्दुस्तान के तरह-तरह के नक्शे रहे हैं। लेकिन अब जब कि हम इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली का काम शुरू कर रहे हैं तो मुझे यह जरूरी मालूम होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको मंजूर करेंगे कि इस नक्शे को हम जरा ज्यादा जाब्ते से अपने सामने, हिन्दुस्तान के लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने रखें। चुनांचे जो रिजोल्यूशन (Resolution) मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वह इस तरह के एक मक्सद को साफ करने का, कुछ थोड़ा-सा नक्शा बतलाने का कि किधर हम देखते हैं, और किस रास्ते पर हम चलेंगे, मजमून का है।

आप जानते हैं कि यह जो कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली है, बिलकुल उस किस्म की नहीं है जैसा कि हममें से बहुत से लोग चाहते थे। खास हालत में यह पैदा हुई और इसके पैदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कुछ शरायत भी इसमें उन्होंने लगाई हैं। हमने बहुत गौर के बाद उस बयान को, जो कि इस कान्स्टीट्यूएंट

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

असेम्बली की बुनियाद-सा है, मंजूर किया है। हमारी कोशिश रही है और रहेगी कि जहां तक मुमकिन हो हम उसे उन हदों में चलायें, लेकिन इसके साथ आप याद रखें कि आखिर इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के पीछे क्या ताकत है और किस चीज ने इसको बनाया है।

ऐसी चीजें हुकूमतों के बयानों से नहीं बनती हैं। हुकूमत के जो बयान होते हैं, वे किसी ताकत की और किसी मजबूरी की तरजुमानी करते हैं और अगर हम यहां मिले हैं तो हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत से मिले हैं। जो बात हम करें, उसी दरजें तक कर सकते हैं, जितनी कि उसके पीछे हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत और मंजूरी हो—कुल हिन्दुस्तान के लोगों की, किसी खास फिरके या किसी खास गिरोह की नहीं। चुनांचे हमारी निगाह कर वक्त हिन्दुस्तान के उन करोड़ों आदमियों की तरफ होगी और हम कोशिश करेंगे कि उनके जो जजबात हों उनका तर्जुमा हम इस विधान में करें। हमको अफसोस है कि इस असेम्बली के अक्सर मेम्बरान इसमें इस वक्त शरीक नहीं हैं। इससे हमारी एक मानी में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम कोई बात ऐसी न करें जो औरों को तकलीफ पहुंचाये, या जो बिलकुल किसी उसूल के खिलाफ हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शरीक नहीं हैं वे जल्द शरीक हो जायेंगे और वे भी इस आईन के बनाने में पूरा हिस्सा लेंगे, क्योंकि आखिर यह आईन उतनी ही दूर तक जा सकता है जितनी ताकत उसके पीछे हो। हम चाहते हैं कि इससे हिन्दुस्तान के सभी लोग सहमत हों और हमारी कोशिश यह रही है और रहेगी कि ऐसी चीज हम बनायें जो कसरत से हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों को मंजूर हो और उनके लिए मुफीद हो। उसके साथ यह भी जाहिर है कि जब कोई बड़ा मुल्क आगे बढ़ता है तो फिर चन्द लोगों के या किसी गिरोह के रोकने से वह रुक नहीं सकता। अगरचे यह असेम्बली, बावजूद इसके कि चन्द मेम्बर इसमें शरीक नहीं हैं, बैठी है, ताहम यह अपना काम जारी रखेगी और कोशिश करेगी कि बहर सूरत इस काम को जारी रखे।

यह जो रिजोल्यूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक घोषणा है, एक ऐलान है जो रिजोल्यूशन की शक्ल में है। काफी गौर और फिक्र से यह बनाया गया है। इसके अल्फाज पर गौर किया गया है और कोशिश की गई है कि इसमें कोई ऐसी बात न हो जो खिलाफ समझी जाये और बहुत ज्यादा बहस तलब हो। यह तो जाहिर है कि एक बड़े मुल्क में बहस करने वाले ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कोशिश यही हुई है कि उसमें बहस-मुबाहिसे की बातें कम-से-कम हों। इसमें बुनियादी बातें हों, उसूल की बातें हों, जो कि एक मुल्क आमतौर से पसंद करता है और मंजूर करता है। मैं नहीं समझता कि इस रिजोल्यूशन में कोई ऐसी बात है जो कि अब्वलन इस ब्रिटिश केबिनेट के बयान की हद से बाहर हो, दोयम यह कि कोई भी हिन्दुस्तानी, चाहे वह किसी गिरोह में हो, उसको नामंजूर करे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारे इख्तलाफ हैं लेकिन इन

बुनियादी उसूलों में, जो इनमें लिखे हैं, इक्के-दुक्के आदमियों के अलावा कोई इखतलाफ मैं नहीं जानता। इस रिजोल्यूशन का क्या बुनियादी उसूल है। वह यह कि हिन्दुस्तान एक आजाद मुल्क हो—एक सोवरन रिपब्लिक (Sovereign Republic) हो। रिपब्लिक लफ्ज का जिक्र हमने अभी तक जाहिर नहीं किया था, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आजाद हिन्दुस्तान में और हो क्या सकता है। सिवाय रिपब्लिक के कोई रास्ता नहीं है। इसकी एक ही शक्ल है कि हिन्दुस्तान में रिपब्लिक हो।

हिन्दुस्तान की जो रियासतें हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं। क्योंकि इस वक्त खास तौर से रियासतों के नुमाइन्दे इसमें शरीक नहीं हैं। यह भी तजवीज हुई है और शायद एक तरमीम की शक्ल में पेश भी हो कि चूंकि बाज लोग यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए यह रिजोल्यूशन मुलतबी कर दिया जाये। मेरा ख्याल यह है कि यह तरमीम मुनासिब नहीं है। चूंकि पहली बात जो हमें करनी है और जो हमारे सामने है—दुनिया के सामने है—वह अगर हम न करेंगे तो हम बिलकुल एक बेजान चीज हो जायेंगे और मुल्क हमारी बातों में दिलचस्पी नहीं रखेगा। लेकिन रियासतों का जो जिक्र किया गया है, उसके मुताल्लिक हमारा इरादा है और हम चाहते हैं और उसको समझना भी लाजिमी बात है कि हिन्दुस्तान का जो यूनियन बने उसमें हिन्दुस्तान के सब हिस्से खुशी से आयें। कैसे आयें, किस ढंग से आयें, उनके क्या अख्तियारात हों—ये तो उन सबों की खुशी पर है। प्रस्ताव में कोई भी तफसील नही है, सिर्फ बुनियादी बातें हैं। उसमें कुछ खुद-मुख्तार हिस्से हैं, उसकी कोई भी तफसील रिजोल्यूशन में नहीं है। लेकिन उसकी जो मौजूदा शक्ल है, उससे रियासतों के ऊपर कोई मजबूरी नहीं आती है। यह गौर करने की बात है कि वह किस ढंग से आयेगे। रियासतों में अन्दरूनी हुकूमत कैसी हो इस बारे में मेरी अपनी एक राय है, लेकिन मैं उसको आपके सामने नहीं रखूंगा। सिवाय इसके कि जाहिर है कि किसी रियासत में वह काम नहीं हो सकता जो हमारे बुनियादी उसूलों के खिलाफ हो या जो और हिन्दुस्तान के हिस्सों के मुकाबले में आजादी कम करे। वहां किस शक्ल की हुकूमत हो, जैसे कि आजकल की तरह राजा-महाराजा या नवाब (हैं या नहीं)। इस रिजोल्यूशन को इस बात से मतलब नहीं है। यह वहां के लोगों से ताल्लुक रखता है। यह बहुत मुमकिन है कि राजाओं को अगर लोग चाहें तो रखें, क्योंकि इन बातों से उन्हीं का ताल्लुक है, फैसला वही लोग करेंगे। हमारी रिपब्लिक सारे हिन्दुस्तान के यूनियन की है और उसके अन्दर अलग किसी हिस्से में वहां के लोग अगर चाहें तो अपना अन्दरूनी इन्तजाम दूसरा करें।

इस रिजोल्यूशन में जो लिखा हुआ है मैं नहीं चाहता कि आप उसमें कमी या बेशी करें। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली में कोई ऐसी बात न हो जो मुनासिब नहीं हो और किसी वक्त में खासतौर से वे, जिनका इन सवालों से ताल्लुक है और यहां मौजूद नहीं है, यह कहें कि इस असेम्बली में बेकायदा बातें हुई हैं। जहां तक इस रिजोल्यूशन का ताल्लुक है मैं

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

चाहता हूं कि आपकी खिदमत में उसे पेश कर दूं। एक तफसीली चीज की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से कि हमें हिंदुस्तान को किस तरह पर ले जाना चाहिए। आप उसके अलफाजों पर गौर करें और मैं समझता हूं कि आप उसे मंजूर करेंगे। लेकिन असल चीज यह है कि इस रिजोल्यूशन का क्या जज्बा है। कानून बगैरा लफ्जों से बनते हैं लेकिन यह उससे ज्यादा जरूरी चीज मालूम होती है। अगर आप उसके लफ्जों में एक कानूनदां की तरह जायेंगे तो आप एक बेजान चीज पैदा कर सकते हैं। हम इस वक्त एक दरवाजे पर हैं, एक जमाना खत्म हो रहा है और एक नया जमाना शुरू होने वाला है। इस मौके पर हमें एक जानदार पैगाम हिन्दुस्तान को देना है और हिन्दुस्तान के बाहर भेजना है। उसके बाद हम अपने विधान और आईन को लफ्जों का ऐसा जामा पहनायेंगे जैसा मुनासिब समझेंगे। लेकिन इस वक्त एक पैगाम भेजना है और यह दिखाना है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए इस रिजोल्यूशन से, इस घोषणा से और इस ऐलान से हमें यह दिखाना है कि इससे क्या शक्ल और तस्वीर पैदा हो सकती है। यह इन्सानी दिमाग में जान पैदा करने वाली चीज है, कानूनी चीज नहीं है। लेकिन कानून भी जरूरी चीज है, जरूरी मामलों में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप साहेबान इस रिजोल्यूशन को मंजूर करेंगे और जिस शक्ल में चाहें मंजूर करेंगे। रिजोल्यूशन आपके सामने आया है और यह खास हैसियत रखता है। एक तरह से यह एक इकरारनामा-सा है, अपने साथी—अपने लाखों करोड़ों भाई-बहनों के साथ जो इस मुल्क में रहते हैं। अगर हम इसे मंजूर करते हैं तो यह एक तरह की प्रतिज्ञा या इकरार होगा कि हम इसको पूरा करेंगे। इस शक्ल में मैं इसको आपके सामने पेश करता हूं। आपके पास हिन्दुस्तानी में इस रिजोल्यूशन की नकलें मौजूद हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। चुनांचे मैं उनको नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं अंग्रेजी में उसको पढ़कर सुनाये देता हूं और कुछ और भी उसकी निस्बत अंग्रेजी जबान में कहूंगा।

भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र

(1) ''यह विधान-परिषद् भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाये।

(2) जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा इनके बाहर भी हैं और जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों।

(3) और जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा (चौहद्दी) चाहे कायम रहे या विधान-सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा। उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे

जायेंगे और वे शासन तथा प्रबंध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावत: निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

(4) जिसमें सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता (अधिकार) जनता द्वारा प्राप्त होगी; तथा

(5) जिसमें भारत के सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और

(6) जिमसें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबाइली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण-विधि रहेगी; और

(7) जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता (आन्तरिक एकता) रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे; और

(8) यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।''

विधान-परिषद् की पहली बैठक का आज पांचवां दिन है। अब तक हम, कार्य-संचालन के लिए नियमादि बनाने का काम कर रहे थे और यह जरूरी भी था। अब हमारा कार्य-क्षेत्र साफ है। हमें अब आधार तैयार करना है और यह काम कुछ दिनों से कर रहे हैं। अभी हमें बहुत-कुछ करना बाकी है। इसके पहले कि हम उस परिषद् के असली काम यानी जाति की आकांक्षाओं को, उसके चिर-स्वप्नों को लिखित रूप देने का महान् काम प्रारम्भ करें, हमें कार्य-संचालन के लिए नियम पास करने हैं और समितियां बनानी हैं। परन्तु इस अवसर पर भी निश्चय ही यह बहुत वांछनीय है कि हम खुद को, उन लोगों को जिनकी

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

निगाहें परिषद् की ओर हैं, इस देश की करोड़ों जनता को, जो हमारी ओर देख रही है तथा सारी दुनिया को यह आभास दे दें कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा है। प्रस्ताव होते हुए भी यह प्रस्ताव से बहुत कुछ ज्यादा हैं। यह एक घोषणा है, यह एक दृढ़ निश्चय है यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है और हम सबों के लिए तो, हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है! मैं चाहता हूं कि सभा इस प्रस्ताव पर कानूनी शब्द-जाल की संकुचित भावना से विचार न करे बल्कि उसके मूल में जो भावना है उसे मद्देनजर रखकर उस पर विचार करे। अक्सर शब्दों में जादू का-सा चमत्कार होता है; पर कभी-कभी यह शब्दों का जादू भी मानव-भावना को, जाति की जबरदस्त लालसा को पूर्णरूपेण व्यक्त नहीं कर पाता। अत: मैं यह नहीं कह सकता कि प्रस्तुत प्रस्ताव उस लालसा को व्यक्त करता है जो आज भारतीय जनता के दिल और दिमाग में है। यह प्रस्ताव संसार को टूटे-फूटे शब्दों में यह बतलाना चाहता है कि हमने इतने दिनों से किस बात की अभिलाषा कर रखी थी, हमारा स्वप्न क्या था? और निकट भविष्य में हम लक्ष्य तक पहुंचने की आशा करते हैं। इसी भावना से, मैं यह प्रस्ताव सभा के सामने रख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि सभा भी इसी भावना से उस प्रस्ताव को ग्रहण करेगी और अन्त में स्वीकार करेगी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने और सभा के सामने विनम्रतापूर्वक यह सुझाव रखना चाहता हूं कि जब प्रस्ताव को मंजूर करने का समय आवे तो हम सिर्फ रस्म के रूप में हाथ उठाकर ही उसे न स्वीकार करें बल्कि भक्ति भाव से खड़े होकर उसे स्वीकार करें और इसे अपना नवीन व्रत समझें।

सभा को मालूम है कि यहां बहत से लोग अनुपस्थित हैं और बहुत से सदस्य, जिन्हें इसमें शामिल होने का हक है, यहां नहीं आये हैं। हमें इस बात का दु:ख है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों और भिन्न-भिन्न दलों से ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों को, हम अपने साथ सम्मिलित करें। हमने एक महान् काम उठा लिया है और इसमें हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह इसलिए कि भारत का भविष्य, जिसकी कल्पना हमने की है, किसी खास दल, सम्प्रदाय या प्रान्त के लिए ही सीमित न होगा बल्कि वह तो भारत की चालीस करोड़ जनता के लिए होगा। हमें इन कुछ बेंचों को खाली देखकर और कुछ साथियों को, जो यहां उपस्थित हो सकते थे, अनुपस्थित पाकर बड़ा दु:ख होता है। मुझे आशा है और मैं समझता हूं कि वे आयेंगे और यह सभा पीछे चलकर उन सबके सहयोग का लाभ प्राप्त करेगी। पर इस बीच में हम सब पर एक दायित्व है कि हम अपने अनुपस्थित मित्रों का ध्यान रखें और हमेशा यह स्मरण रखें कि हम यहां किसी खास दल के लिए काम करने नहीं आये हैं। हमें सारे हिन्दुस्तान का, यहां के चालीस करोड़ नर-नारियों का सदा ख्याल रखना है। हम सब फिलहाल अपनी-अपनी सीमाओं में दल विशेष के हैं, चाहे

इस दल के या उस दल के, और शायद अपने-अपने दलों के साथ काम करना भी जारी रखेंगे। फिर भी ऐसा मौका आता है कि हमको दल-भावना से ऊपर उठ जाना पड़ता है और सारी जाति या देश का—यहां तक कि कभी-कभी उस समूचे संसार का, ख्याल रखना पड़ता है, जिसका यह देश भी एक महत्त्वपूर्ण भाग है। जब मैं इस विधान-परिषद् के काम का ख्याल करता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब समय आ गया है कि जहां तक हमसे बन पड़े हम व्यक्तिगत भावना और दलबन्दी के झगड़ों से ऊपर उठकर अधिक-से-अधिक व्यापक, सहिष्णु और प्रभावकारी ढंग से उस महती समस्या पर विचार करें जो आज हमारे सामने है ताकि हम जो भी विधान बनावें वह समस्त भारत के योग्य हो; सारा संसार स्वीकार करे कि हमने सचमुच महान् कार्य का सम्पादन उसी योग्यता से किया, जिससे हमें करना चाहिए था।

एक और भी व्यक्ति यहां आज अनुपस्थित है जो अवश्य ही हममें से बहुतों के दिल में मौजूद है। हमारा इशारा उस व्यक्ति की ओर है, जो सारे देश का नेता है जो समस्त राष्ट्र का जनक है, *(हर्षध्वनि)* जो इस सभा का निर्माता रहा है, जो हमारे कितने ही अतीत-कार्यों का कर्त्ता रहा है और हमारी भविष्य की बहुतेरी कार्रवाइयों का कर्त्ता-धर्त्ता रहेगा। आज वह यहां उपस्थित नहीं है। वह अपने महान् आदर्शों की पूर्ति के लिए भारत के एक सुदूर कोने में निरंतर कार्यरत हैं। परन्तु मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि उसकी आत्मा इस भवन में वर्तमान है और इस महान् कार्य के सम्पादन में हमें सतत आशीर्वाद दे रही है।

सभापति महोदय, यहां बोलते हुये मैं चतुर्दिक व्याप्त स्मृतियों और समस्याओं के बोझ से अपने को बोझिल अनुभव करता हूं। हम लोग एक युग को समाप्त कर सम्भवतः बहुत शीघ्र ही एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। मेरा ध्यान आज भारत के महान् अतीत की ओर, उसके पांच हजार वर्ष के इतिहास की ओर जाता है उसके इतिहास के प्रारंभ से—जो मानव इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है—आज तक का सारा इतिहास हमारी आंखों के सामने है। वह समस्त अतीत आज हमारे चतुर्दिक है और हमें आनंद और जीवन प्रदान कर रहा है पर साथ-ही-साथ उससे, यह सोचकर मुझे कुछ वेदना भी होती है कि क्या हम उस अतीत के योग्य हैं।

शक्तिशाली अतीत और अधिकतर शक्तिशाली भविष्य के बीच स्थित वर्तमान की तलवार के धार पर खड़े होकर जब मैं भविष्य की सोचता हूं, उस भविष्य की, जो मुझे विश्वास है कि अतीत से भी महत्तर है, तो अपने महान् कार्यभार से अभिभूत हो जाता हूं और भयभीत हो जाता हूं। भारतीय इतिहास के अद्‌भुत अवसर पर हम यहां समवेत हुए हैं। इस परिवर्तन क्षण में प्राचीन युग से एक नवीन युग में प्रविष्ट होने के इस परिवर्तन काल में मुझे कुछ विस्मय-सा मालूम होता है, वैसा ही विस्मय जैसा रात से दिन होने में मालूम पड़ा है, हो सकता है दिन मेघाच्छन्न हो; पर है तो आखिर दिन; इसलिए बादल फटने पर दिन अवश्य निकलेगा। इन सब बातों के कारण मुझे इस सभा के सम्मुख बोलने और अपने सारे विचार रखने में कुछ कठिनाई मालूम होती है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

इन पांच हजार वर्षों के लम्बे सिलसिले में बड़ी-बड़ी विभूतियां, जो आईं और चली गईं, आज मेरी आंखों के सामने हैं। उन मित्रों की मूर्तियां भी मानों आज मेरे सन्मुख हैं, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए निरंतर प्रयास किया है। आज हम समाप्त-प्राय: युग के छोर पर खड़े हैं और नवीन युग में प्रवेश पाने के लिए परिश्रम और प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभा वर्तमान अवसर की गंभीरता समझेगी और उसी गंभीरता से इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। जिसे सभा के सन्मुख उपस्थित करने का मुझे गौरव है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर बहुत से संशोधन सभा के सामने आ रहे हैं। इनमें से बहुतों को मैंने नहीं देखा है। सभा के किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह इसके सामने कोई भी संशोधन रखे और सभा को अधिकार है कि वह उसे मंजूर करे या नामंजूर। पर मैं स-सम्मान आपको यह सुझाव दूंगा कि यह अवसर ऐसा नहीं है कि हम छोटी-छोटी बातों में कानूनी और रस्मी ढंग अपनायें; जब कि हमें बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना है, बड़े-बड़े कामों को अन्जाम देना है और महत्त्वपूर्ण मसले तय करने हैं। अत: मैं आशा करूंगा कि सभा गंभीरता से ही इस महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस करेगी और शाब्दिक झगड़े में ही अपने को न भुला देगी।

मुझे विभिन्न विधान-परिषद्‌ों का भी ख्याल आता है जो पहले बैठ चुकी हैं। अमेरिकन राष्ट्र के निर्माताओं ने विधान-परिषद् में समवेत होकर राष्ट्र-निर्माण के लिए एक विधान तैयार किया था, जो आज डेढ़ सौ बरस की परीक्षा में पक्का साबित हुआ है। इस विधान-निर्माण में क्या-क्या बातें हुई, उन सबकी मैं कल्पना कर रहा हूं। इस विधान के फलस्वरूप जो महान् राष्ट्र उत्पन्न हुआ उसको मैं सोच रहा हूं; मेरी कल्पना उस जबर्दस्त क्रांति की ओर जा रही है जो आज से 150 वर्ष पहले हुई थी। मैं कल्पना कर रहा हूं उस विधान-परिषद् की, जो आनन्ददायक उस पेरिस नगर में समवेत हुई थी, जिसने आजादी की कितनी ही लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं सोच रहा हूं उन कठिनाइयों को जो इस विधान-परिषद् को मिलीं, मैं सोच रहा हूं उन बाधाओं को जिन्हें सम्राट तथा अधिकारियों ने उस परिषद् की राह में रोड़े डाले। इस सभा को स्मरण होगा कि जब इसके मार्ग में रोड़े अटकाए गए, यहां तक कि उसे समवेत होने के लिए स्थान देने से भी इंकार किया गया तो परिषद् ने टेनिस कोर्ट में अपनी बैठक की और वहां ही उसने शपथ ग्रहण की; जो 'दी ओथ आव् टेनिस कोर्ट' के नाम से मशहूर है। सम्राट और अधिकारियों की; समस्त बाधाओं के बावजूद वे समवेत होकर तब तक अपना काम करते रहे जब तक कि उन्होंने अपने काम को पूरा न कर लिया, जिसे पूरा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। मुझे विश्वास है कि हम लोग भी उसी गम्भीरता और पवित्र भावना से यहां समवेत हुए हैं और हम भी चाहे इस भवन में हो या अन्यत्र, मैदान में, बाजार में, कहीं भी समवेत होकर—तब तक अपना काम करते जायेंगे जब तक कि उसे पूरा न कर लें।

इसके बाद हमारी याद जाती है निकट भूत की उस महती क्रांति की ओर जो रूस में हुई थी और जिसके, फलस्वरूप एक नये ढंग के राज्य—रूस यूनियन आव् सोवियत् रिपब्लिक—जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ जो आज विश्व के कामों में प्रमुख भाग ले रहा है। यह महान् शक्तिशाली राष्ट्र हम भारतवासियों के लिए न सिर्फ एक महान् शक्तिशाली राष्ट्र ही है वरन् पड़ौसी भी है।

इस तरह हम आज इन बड़े-बड़े उदाहरणों को स्मरण करते हैं और उनकी सफलताओं से लाभ उठाने की एवं उनकी असफलताओं से बचने की कोशिश करते हैं। शायद हम असफलताओं से बच न सकें क्योंकि कुछ-न-कुछ असफलता तो मानव-प्रयास में सन्निहित रहती ही है। फिर भी हमें निश्चय है कि हम तमाम बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ेंगे और अपनी चिर-संचित आकांक्षाओं और स्वप्नों को प्राप्त करेंगे। इस प्रस्ताव में, जो सभा जानती है कि बड़ी सावधानी से बनाया गया है, हमने अत्यधिक या अत्यल्प कथन को दूर ही रखा है। इस तरह के प्रस्ताव का बनाना बड़ा कठिन है। यदि आप उसमें बहुत कम बात व्यक्त करते हैं तो वह केवल एक कोरा प्रस्ताव ही रह जाता है और दूसरे यदि आप उसमें अधिक कुछ कहते हैं तो यह विधान बनाने वाले सदस्यों के कार्य में कुछ हस्तक्षेप-सा होता है। यह प्रस्ताव उस विधान का मार्ग नहीं है जो हम बनाने जा रहे हैं और हमें इसी दृष्टि से इसे देखना चाहिए। सभा को विधान बनाने की पूरी स्वतंत्रता है और दूसरे लोगों को भी, जब वे सभा में आ जायें तो विधान बनाने की पूरी आजादी है। अतः यह प्रस्ताव दोनों सीमाओं के बीच की राह है और केवल कुछ बुनियादी उसूलों को निर्धारित करता है जिन पर, मुझे पक्का विश्वास है, किसी दल या व्यक्ति को विवाद नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि हमारा यह दृढ़ और पवित्र निश्चय है कि हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र कायम करेंगे। यह ध्रुव निश्चय है कि भारत सर्वाधिकारपूर्ण स्वतन्त्र, प्रजातंत्र होकर ही रहेगा। मैं राजतन्त्र की बहस में न जाऊंगा। अवश्य ही हम भारत में शून्य से (बिना किसी आधार के) राजतन्त्र नहीं स्थापित कर सकते। जब भारत को हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो किसी बाहरी शक्ति को हम राजा न मानेंगे और न किसी स्थानीय राजतंत्र की ही तलाश करेंगे। यह तो निश्चय ही प्रजातंत्रीय (Republic) होगा। कुछ मित्रों ने यह प्रश्न उपस्थित किया है कि मैंने प्रस्ताव में लोकतंत्रीय (Democratic) शब्द क्यों नहीं रखा। मैंने उन्हें बताया कि रिपब्लिक राज्य डेमोक्रेटिक न हो ऐसा समझा जा सकता है, पर हमारा सारा अतीत इस बात का गवाह है कि हम लोकतंत्रीय संस्था (Democratic Institution) ही की स्थापना चाहते हैं। स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य लोकतन्त्रीय व्यवस्था की स्थापना ही है और उससे कम हम कुछ नहीं चाहते। उस लोकतन्त्र का क्या रूप हो, यह बात दूसरी है। वर्तमान युग के लोकतन्त्र ने यूरोप की और अन्य स्थानों की लोकतन्त्रीय शासन-पद्धति ने संसार की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया है। इसमें संदेह है कि ये लोकतंत्र, यदि सही माने में इन्हें लोकतंत्र रहना है तो, अपना

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

वर्तमान स्वरूप अधिक दिनों तक रख सकेंगे। मुझे आशा है कि हम लोग किसी विशेष तथाकथित लोकतन्त्रीय देश की पद्धति की नकल न करेंगे। हो सकता है कि हम लोग वर्तमान लोकतंत्र को और भी अच्छा बनायें। जो भी हो, हम जो भी शासन-पद्धति यहां स्थापित करें व हमारी जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल और सबको ग्राह्य होनी चाहिए। हम लोकतंत्र चाहते हैं। यह काम इस सभा का है कि वह निश्चय करे उस लोकतंत्र को, पूर्णतः लोकतंत्र को, वह क्या स्वरूप देगी। सभा देखेगी कि हमने इस प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक शब्द नहीं रखा है क्योंकि हमने समझा कि रिपब्लिक शब्द के अन्दर वह सन्निहित है और हम अनावश्यक अतिरिक्त शब्द रखना नहीं चाहते हैं। पर हमने प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक (लोकतंत्रीय) शब्द से बहुत कुछ अधिक रख दिया है। इस प्रस्ताव में हमने लोकतंत्र का सार सन्निहित कर दिया है बल्कि मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र का ही सार नहीं वरन् इसमें हमने (Economic Democracy) आर्थिक लोकतंत्र का सार भी सन्निहित कर दिया है। कुछ लोग इस बिना पर इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं कि इसमें समाजवादी राष्ट्र (Socialist State) नहीं अपनाया है। सज्जनो, मैं समाजवाद का समर्थक हूं और मुझे आशा है कि सारा हिन्दुस्तान समाजवाद का समर्थन करेगा और वह समाजवादी शासन विधान बनायेगा और सारी दुनिया को भी इसी दिशा में चलना होगा। उस समाजवाद का स्वरूप क्या हो यह भी आपका दूसरा विचारणीय विषय है। पर असली बात यह है कि यदि मैं अपनी इच्छानुसार इस प्रस्ताव में यह रखता कि हम समाजवादी राष्ट्र चाहते हैं तो शायद इसमें कुछ ऐसी बातें आ जातीं जो बहुतों को ग्राह्य होती और कुछ को अग्राह्य। हम यह नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों को लेकर यह प्रस्ताव विवादात्मक हो जाये। इसलिए प्रस्ताव में हमने पारिभाषिक शब्द नहीं रखे हैं बल्कि हम क्या चाहते हैं इसका निचोड़ रख दिया है। यह आवश्यक है और मैं समझता हूं इसमें कोई विवाद नहीं उठ सकता। कुछ लोगों ने मुझे कुहा है कि इस प्रस्ताव में रिपब्लिक (प्रजातन्त्र) का रखा जाना देशी नरेशों को कुछ नाराज कर सकता है। सम्भव है इससे वे नाराज हों मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं और सभा जानती है कि मैं वैयक्तिक रूप से राजतन्त्रीय पद्धति में, वह चाहे कहीं भी हो, विश्वास नहीं करता। संसार से राजतंत्र आज तेजी से मिटता जा रहा है। फिर भी यह मेरे विश्वास की बात नहीं है। देशी राज्यों के सम्बन्ध में हम लोगों के विचार बहुत दिनों से यही रहे हैं कि सर्वप्रथम इन राज्यों की प्रजा को आने वाली आजादी में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। यह बात तो मेरी कल्पना में ही नहीं आती कि देशी रियासतों की प्रजा और भारत के अन्य भागों की प्रजा की स्वतंत्रता का भिन्न-भिन्न मापदंड हो। संघ में देशी रियासतें किस तरह सम्मिलित होंगी इस बात को तो यह सभा ही रियासतों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके तय करेगी और मुझे आशा है कि सभा, रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले सभी मसलों को रियासतों के सच्चे प्रतिनिधियों से ही बातचीत कर तय करेगी। हां, मैं जानता हूं कि उन मसलों को तय करने में जिनका

देशी राज्यों के शासकों से सम्बन्ध है, हम शासकों के साथ या उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करने के लिए पूरी तरह रजामन्द हैं। पर अन्त में जब हम भारत का विधान बनायेंगे तो जिस तरह भारत के अन्य भागों के जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क रखकर उसका निर्माण करेंगे उसी तरह देशी रियासतों के जन प्रतिनिधियों से भी सम्पर्क रखकर हम विधान को अन्तिम रूप देंगे। *(हर्षध्वनि)* जो भी हो, हम या तो नियम निर्धारित कर देंगे या खुद आपसी रजामन्दी से तय कर लेंगे कि देशी रियासतों और अन्य भागों के लिए स्वतंत्रता का स्तर समान होगा। मैं खुद तो यह चाहूंगा और इसकी सम्भावना भी है कि सारे देश में शासन-व्यवस्था या हुकूमत की मशीनरी एक समान हो। पर यह बात ऐसी है जिसका फैसला रियासतों के परामर्श और सहयेाग से करना होगा। मैं नहीं चाहता और मेरा ख्याल है यह सभा भी नहीं चाहेगी कि देशी राज्यों पर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ लादा जाये। अगर किसी रियासत की प्रजा कोई खास तरह की शासन-प्रणाली चाहती है, चाहे वह राजतन्त्रात्मक ही क्यों न हो, उन्हें वैसी प्रणाली रखने का अधिकार है। इस सभा को मालूम होगा कि ब्रिटिश कामनवेल्थ में भी आज आयरलैंड एक रिपब्लिक (प्रजातंत्र) है और फिर भी कई तरह से यह ब्रिटिश कामनवेल्थ का एक सदस्य भी है। इसलिए यह बात तो समझ में आ सकती है। मैं नहीं कह सकता कि होगा क्या, क्योंकि उसका निश्चय करना कुछ इस सभा का और कुछ दूसरों का काम है। इसकी असम्भावना या इसमें कोई असामंजस्य नहीं है कि रियासतों में किसी खास तरह की शासन-प्रणाली हो; बशर्ते कि वहां पूरी स्वतंत्रता और दायित्वपूर्ण शासन (Responsible Government) हो और वह प्रजा के आधीन हो। यदि किसी रियासत की प्रजा राजतंत्र के प्रधान यानी राजा, महाराजा और नवाब को पसंद करती है तो, मैं चाहूं या न चाहूं, निश्चय ही मैं इसमें कतई दखल देना नहीं पसन्द करता। अत: मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रस्ताव या घोषणा का सम्बन्ध है यह, आगे जो कुछ करना चाहेगी या जो बातचीत चलायेगी इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं डालता। सिर्फ एक ही माने में यह प्रस्ताव हम पर कुछ सीमा या पाबन्दी (यदि आप इसे पाबन्दी समझें) डाल देता है। वह यह कि इस घोषणा में जो बुनियादी उसूल है हम उन पर ही चलेंगे। मैं तो कहता हूं कि ये बुनियादी सिद्धांत, सही माने में, विवादात्मक हैं ही नहीं। हिन्दुस्तान में कोई भी इनका विरोध नहीं करता और न किसी को इनका विरोध करना ही चाहिए पर यदि कोई विरोध करता है तो हम उनका मुकाबला करेंगे और अपनी-अपनी जगह पर डटे रहेंगे। *(हर्ष-ध्वनि)*

सभापति महोदय, हम भारत के लिए विधान बनाने बैठे हैं। स्पष्ट है कि हमारे इस काम का बाकी दुनिया पर जोरदार प्रभाव पड़ेगा। यह इसलिए नहीं कि इससे संसार-क्षेत्र में एक नये शक्तिशाली राष्ट्र का अभ्युदय होता है बल्कि इस कारण से कि भारत ऐसा देश है; जो न सिर्फ अपनी आबादी या क्षेत्रफल के विस्तार से वरन् अपने प्रचुर साधनों और उसके उपयोग की क्षमता से विस्तृत संसार के

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

कामों में शीघ्र ही जबरदस्त हाथ बंटा सकता है। आज भी जब हम आजादी के किनारे खड़े हैं, भारत ने संसार के मामलों में जबरदस्त हाथ बंटाना शुरू कर दिया है। इसलिए विधान-निर्माताओं के लिए यह उचित है कि इस अंतर्राष्ट्रीय पहलू को हमेशा ध्यान में रखें।

हम संसार के साथ दोस्ताना बर्ताव चाहते हैं। हम सब देशों से मित्रता चाहते हैं। अतीत के झगड़ों के एक लम्बे इतिहास के बावजूद इंग्लैंड को अपना मित्र बनाना चाहते हैं। सभा को मालूम है कि मैं हाल ही में विलायत गया था। मैं कुछ कारणों से, जिन्हें यह सभा अच्छी तरह जानती है वहां नहीं जाना चाहता था। पर ग्रेट-ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध के कारण मैं वहां गया। वहां मुझे सभी जगह सौजन्य मिला। फिर भी भारतीय इतिहास के इस भावनापूर्ण मनोवैज्ञानिक अवसर पर जब हम दुनिया से और अपने अतीत सम्पर्क एवं संघर्ष के कारण ग्रेट-ब्रिटेन से तो खासतौर पर सहयोग, मैत्री, तथा खुशी के सम्वाद पाने के भूखे थे; दुर्भाग्य से हम खुशी का सम्वाद तो दूर रहा, बहुत कुछ निराशा का सम्वाद लेकर लौटे। मुझे उम्मीद है कि ये नई कठिनाइयां जो ब्रिटिश मन्त्रिमंडल और वहां के अन्य अधिकारियों के हाल के वक्तव्यों से उत्पन्न हुई है वे हमारी राह न रोकेंगी। और हम, यहां उपस्थित और अनुपस्थित सब के सहयेाग से आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। मुझे इस बात से सख्त सदमा पहुंचा है, सख्त चोट पहुंची है कि ऐन मौके पर जब हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गईं। हम पर नई-नई पाबन्दियां जिनका पहले कहीं जिक्र भी न था, लगायी गई और नये तरीके सुझाये गए। मैं किसी व्यक्ति की सद्भावना पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहता पर मैं अवश्य ही यह कह देना चाहता हूं कि इसका कानूनी पहलू चाहे कुछ भी क्यों न हों, पर जब हमें ऐसे राष्ट्र से काम पड़ता है जो आजादी के लिए मतवाला हो तो ऐसे भी अवसर उपस्थित होते हैं कि कानून लचर हो जाता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहां हममें से बहुतों ने गत वर्षों से एक या अधिक पीढ़ियों से भारत की आजादी की लड़ाई में अक्सर हिस्सा लिया है। हम आफतों के बीच से गुजरे हैं। हम इसके आदी हैं और यदि जरूरत आ गई तो हम पुनः विपत्तियों से खेलेंगे *(हर्षध्वनि)*। फिर भी इन तमाम संघर्षों के दौरे में हम हमेशा ही ऐसे अवसर की बात सोचते रहे हैं जब हम संघर्ष और विध्वंस नहीं बल्कि निर्माण के काम में लग जायें। और उस समय जब हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि स्वतंत्र भारत में रचनात्मक काम करने का समय आ रहा है जिसकी बड़ी खुशी से बाट जोह रहे थे कि नई बाधायें हमारे रास्तें में डाली गईं। चाहे जो भी शक्ति इसके पीछे हो, इससे यही जाहिर होता है कि चतुर, बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों में भी अपनी मर्यादा और पद के अनुकूल कल्पनामूलक साहस का अभाव होता है। यदि आपको किसी राष्ट्र से काम पड़ता है तो अपनी कल्पना, भावना और साथ-ही-साथ बुद्धि की दौड़

से ही आप उसको ठीक-ठीक समझ सकते हैं। अतीत से ही यह दुखद परम्परा चली आती है कि भारतीय समस्याओं को समझने में शासकों में कल्पना-शक्ति का सर्वथा अभाव रहा है। इन लोगों ने अक्सर हमारी समस्याओं में अनावश्यक हाथ डाला या हमें राय दी और यह न समझा कि वर्तमान भारत न किसी की सलाह चाहता है और न अपनी मर्जी के खिलाफ किसी का समाधान ही अपने ऊपर लादना चाहता है। भारत को प्रभावित करने का एक मात्र रास्ता है मैत्री, सहयोग और सद्भावना का बर्ताव। जबर्दस्ती उस पर कुछ भी लादने या मध्यस्थ बनने की थोड़ी भी चेष्टा पर हम आक्रोश करते हैं और करेंगे *(हर्षध्वनि)*। गत कई महीनों में, बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद भी हमने ईमानदारी से सहयोग का वातावरण पैदा करने की हरचन्द कोशिश की। हमारी यह कोशिश जारी रहेगी पर मुझे भय है कि अगर दूसरी ओर से इसका काफी जवाब न मिला तो सहयोग का वातावरण नष्ट या दुर्बल हो जायेगा। हमने महान् काम का बीड़ा उठाया है, हमें विश्वास है कि हम उसे पूरा करने का प्रयास जारी रखेंगे। हमें यह भी विश्वास है कि यदि इस कार्य में प्रयत्नशील रहे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। जहां हमें अपने ही देशवासियों से निबटना है हम सद्भावना से उस काम में लगे रहेंगे यद्यपि हम समझते हैं कि हमारे कुछ देशवासी गलत रास्ता पकड़ते हैं। जो भी हो आज नहीं तो कल या परसों हमें इस देश में मिलकर ही काम करना है और हमारा आपसी सहयोग अवश्यम्भावी है। अतः हमें इस समय ऐसे किसी भी काम से बचना होगा जिससे हमारे भविष्य के मार्ग में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कोई नई बाधा उपस्थित हो जाये। इसलिए जहां तक हमारे देशवासियों का सम्बन्ध है उनका अधिक-से-अधिक सहयोग पाने के लिए हमें यथाशक्ति चेष्टा करनी है। परन्तु सहयोग का यह अर्थ नहीं कि हम अपने उन मौलिक सिद्धान्तों का ही त्याग कर बैठें जिनके लिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं और करना चाहिए। सहयोग का यह मतलब नहीं है कि हम उन सिद्धांतों को ही कुर्बान कर दें जिनके लिए हम जीते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने अभी कहा है हम इंग्लैंड का भी सहयोग चाहते रहे और इस समय भी चाहते हैं जब वातावरण आपसी संदेह से भरा हुआ है। हम समझते हैं कि यदि उन्होंने सहयोग देने से इन्कार किया तो अवश्य ही इससे भारत को क्षति पहुंचेगी, पर इंग्लैंड को उससे भी ज्यादा क्षति पहुंचेगी और संसार को भी कुछ नुकसान पहुंचेगा। युद्ध से हम अभी फुरसत पाये हैं और लोगों में व्यापक रूप से आगामी युद्ध की मन्द-मन्द चर्चा चलने लगी है। ऐसे समय में नवीन प्राणपूर्ण और निर्भय भारत का पुनर्जन्म होने जा रहा है। विश्व की इस उथल-पुथल से भारत के पुनर्जन्म का यह शायद उपयुक्त अवसर है। पर ऐसे समय में हम लोगों की दृष्टि जिन पर भारत का विधान बनाने का जबर्दस्त भार है, खूब साफ दूरदर्शिनी होना चाहिए। हमें वर्तमान की महती आशाओं और भविष्य की उससे भी महत्तर आशाओं पर सोच विचार करना है और इस दल या उस दल के क्षुद्र लाभ की तलाशी में ही अपने को नहीं खो देना है। विधान-परिषद् में बैठ कर आज हम विश्व के रंग-मंच पर अभिनय कर रहे हैं और सारे संसार

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

की निगाह, हमारे सम्पूर्ण अतीत की दृष्टि, हमारी ओर है। हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हमारा अतीत देख रहा है और भविष्य भी देख रहा है यद्यपि अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। मैं इस प्रस्ताव को इसी दृष्टि से देखता हूं और मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह अपने महान् अतीत को, वर्तमान के जबर्दस्त उथल-पुथल को और उदित होने वाले महत्तर भविष्य को दृष्टि में रखकर उस पर विचार करे। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

सभापतिः श्री पुरुषोत्तमदास टंडन इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (यू.पी. : जनरल): सभापति महोदय, पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का पूरी तौर से मैं समर्थन करता हूं। विधान-परिषद् की आज की बैठक एक ऐतिहासिक अवसर है। शताब्दियों के बाद हमारे देश में ऐसी सभा समवेत हुई है। यह सभा हमें अपने वैभवशाली अतीत की याद दिलाती है जब हम स्वतंत्र थे और बड़ी प्रतिनिधि सभायें बैठती थीं जहां बड़े-बड़े विद्वान देश के महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया करते थे। यह हमें अशोककालीन बड़ी-बड़ी सभाओं की याद दिलाती है। उन दिनों का एक धुंधला चित्र आज हमारी आंखों के सामने है। यह सभा हमें अमेरिका, फ्रांस और रूस प्रभृति अन्य देशों की परिषद्ों की याद दिलाती है। अन्य स्वतंत्र देशों के विधान-निर्माण के लिए जो परिषदें बैठी थीं उनके साथ-साथ हमारी यह परिषद् भी सबको सदा याद रहेगी। हम जहां एक ऐसा शासन-विधान बनाने बैठे हैं जिससे संसार को यह साफ मालूम हो जाये कि भारत का यह पक्का इरादा है कि वह संसार के साथ मिलकर बाइज्जत रहेगा उससे अलग नहीं। भारत तमाम मुल्कों को सहयोग देगा और उनकी मुसीबतों में उन्हें हरचन्द मदद देगा, वह उन सब प्रयत्नों में साथ देगा जिससे संसार का भला हो। हमें विश्वास है कि हम आज यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह ऐतिहासिक होगा और उसकी गणना भी उन ऐतिहासिक घटनाओं में होगी जिनसे संसार की समुन्नति में सहायता मिली है।

गत डेढ़ सौ वर्षों से हिन्दुस्तान ब्रिटेन के आधीन रहा है। हम उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते जिनके विरुद्ध हमने ब्रिटिश हुकूमत के प्रारम्भ से ही लगातार आवाज उठाई है। इन डेढ़ सौ वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान को जो भी चोटें दी गई हैं, हम यहां उनका जिक्र नहीं करेंगे। उन चोटों ने हमें न केवल अपनी आजादी से ही वंचित किया बल्कि हममें एक आपसी भेदभाव पैदा कर दिया। आज हम उन सब बातों का जिक्र न करेंगे। पर हम अपने नेताओं के त्याग और संघर्ष को नहीं भूल सकते। प्रारम्भ में हमारे नेताओं ने महज प्रस्ताव पास कर और उन्हें सव्याख्या सरकार के पास भेजकर आजादी की मांग की। हुकूमत ने खुल्लम-खुल्ला हमारे साथ ज्यादती की और सब जगह अंग्रेजों का पक्ष लिया। हमने शासकों से हर तरह अपील की कि हमारे साथ न्याय का बर्ताव हो। हमारे नेताओं ने उनके

ऊंचे आदर्शों की और-महामना बर्क और मिल के बताये आदर्शों की ओर हुकूमत का ध्यान खींचा। हमारे नेता ब्रिटिश आदर्शों से प्रभावित थे और उन्हें पूरी आशा थी कि ब्रिटेन उनके साथ न्याय करेगा और उन्हें आजादी देगा। वह जमाना अब गुजर गया। अनुभवों ने सिखाया कि आजादी अपील या प्रार्थना से नहीं मिल सकती, उसे पाने के लिए हमें अब बहादुराना कदम उठाना लाजिमी है। हमारे इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उसके बाद नये-नये आंदोलन चलाये गए और ब्रिटेन के साथ खुली बगावत की गई। 1905-06 के आंदोलन ने देश को उन्नति की सीढ़ी पर कुछ और आगे बढ़ा दिया। उस समय हमारे वीर बंगाली नेताओं और युवकों ने ऐसे-ऐसे बहादुराना काम किये जो हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जायेंगे। हम आगे और राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गांधी राजनीति के मैदान में पहुंचे और उन्होंने हमारे युद्ध का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने हमें एक नया सबक सिखाया और हमने एक नये सिलसिले से लड़ाई शुरू की। ब्रिटिश कानूनों की न सिर्फ अवहेलना ही की गई बल्कि सरेआम वह तोड़े जाने लगे और हमने जरा भी परवाह न की कि इसका क्या कठोर परिणाम भुगतना होगा। हमारे हजारों देशवासियों ने कानून तोड़े और जेल गये। उन वीरों की तस्वीरें जिन्होंने संग्राम में जीवन बलिदान किया या वर्षों जेलों में सड़ते रहे, आज हमारी आंखों के सामने हैं दरअसल अभी हाल का आंदोलन—सन् 1942 का आंदोलन—ही इस सभा का जन्मदाता है। ब्रिटेन द्वारा इस परिषद् के बुलाये जाने में इस आंदोलन का जबर्दस्त हाथ है। हमारी आगे की तरक्की के लिए इसने एक नई राह निकाल दी। ब्रिटिश हुकूमत अब भारत में टिक नहीं सकती। इस वास्तविकता को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंखें खुल गईं और संसार चकित हो गया। दूसरे देशों ने खुलकर तो हमारा साथ नहीं दिया पर हमें यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि हमने अपनी ताकत का इजहार तो किया ही जो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाने में खास चीज है। पर साथ-ही-साथ उन बड़ी ताकतों ने भी जो आज दुनिया को एक करने में लगी हैं हमें सहायता दी है। संसार ने यह समझ लिया है कि दुनिया के एक सुदूर कोने में भी जो अत्याचार किया जाता है, उसका व्यापक असर खुद अत्याचारी के देश पर और उसके पड़ौसी देशों पर पड़ता है। गत दो महायुद्धों ने यह बात प्रमाणित कर दी है। आज संसार के बड़े-बड़े नेता उपाय ढूंढ़ने में लगे हैं कि विश्व को तृतीय महायुद्ध की बर्बादी से कैसे बचाया जाये। वे संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जहां न और युद्ध होंगे, न इंसान का खून बहाया जायेगा, जहां अमीर और गरीब का भेदभाव न रह जायेगा, जहां हर एक को भोजन और अन्न मिलेगा, जहां हर आदमी को हक हासिल होगा कि वह अपने आदर्शों के अनुसार जीवन यापन करें। जहां प्रत्येक बालक को शिक्षा पाने का अधिकार होगा, जहां आदर्श उच्च और उच्चतर होंगे, जहां निवासियों के बीच एक आत्मिक सम्बन्ध होगा।

बुद्धिमान लोग ऐसे कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे संसार उस दलदल से बाहर निकल सके जिसमें वह आज फंस गया है, जिससे सारे मुल्कों

[माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन]

को बराबर हक हासिल हो सके। जमाना तेजी से बदल रहा है और दुनिया की ताकतें इन नये विचारों को अमली रूप देने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही हैं। हम लोग भी जब इसी दुनिया में रहते हैं, उनसे बच नहीं सकते। इन नई शक्तियों का हम भी हृदय से स्वागत करते हैं। ये ही शक्तियां हमारी बड़ी-बड़ी आशाओं का हमेशा आधार रही हैं। भारत के बारे में यह खासतौर से कहा जा सकता है कि उसके निवासियों ने ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का ऊंचा आदर्श सदा अपनाया है और संसार को एक देश समझा है। हमारे देश के महापुरुषों ने संसार के मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं माना। बहुत से विदेशी हमारे देश में आये और हमने खुशी से उन्हें अपने गले लगाया। हमने यह नीति कभी भी अख्तियार नहीं की जिसे कुछ मुल्कों ने आज भारतवासियों के विरुद्ध अपना रखा हैं हमारा इतिहास बतलाता है कि हमने बाहरी देशों से आये हुए आदमियों का सदा स्वगात किया, जो भी सहायता जरूरी थी, हमने उन्हें दी और यहां बसने में उनकी हर तरह मदद की। इंग्लैंड के निवासी ही यहां पहले कैसे आये? उन्हें यहां पनाह दी गई। भारत में झगड़े और लड़ाइयां भी हुईं पर इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा मानव-अधिकारों की रक्षा की। भाई-भाई के बीच के भेद पैदा करना हम उचित नहीं समझते और न उनके राजनैतिक अधिकारों में ही भेदभाव रखते हैं। इसमें शक नहीं कि हममें कमजोरियां थी और आज भी हैं। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

हमारा अतीत इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। जहां हम समानता के आदर्शों को न सिर्फ अपने देशवासियों के सामने बल्कि दुनिया के सामने रख सकें। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारा ख्याल अपने अतीत इतिहास की ओर, गुजरी हुई घटनाओं की ओर जाता है, हमारे संघर्ष और बलिदान की ओर जाता है उस सहायता की ओर जाता है जो हमें दूसरे देशों से मिली है और जिसने आज हमें यहां समवेत किया है। इन सबसे हमें बल प्राप्त करना चाहिए। हम एक ऐसा विधान बनाने के लिए यहां समवेत हुए हैं जिससे देश को सुख-शान्ति मिल सके। अपनी मातृभूमि के प्रत्येक निवासी को समानता देना ही हमारा लक्ष्य है।

जो प्रस्ताव आपके सामने पेश किया गया है उसकी तह में समानता का ही सिद्धांत है। देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को स्वायत्त-शासन या शासन में खुद-मुख्तारी मिली हुई है। और हिन्दुस्तान समूचे को सर्वोपरि राजसत्ता या पूरे अख्तियार रखता है। उन विषयों में जिनमें हम एकता चाहते हैं, हम सब सम्मिलित रहेंगे। प्रस्ताव में सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि इसमें भारत एक आजाद मुल्क माना गया है। हमारा देश सम्मिलित रूप से एक है पर इसके भिन्न-भिन्न अंगों को पूरी आजादी हासिल है कि वे अपने लिए जैसी हुकूमत चाहें रखें। देश का मौजूदा प्रान्तों में विभाजन बदल सकता है। हम सब सम्प्रदायों के साथ न्याय करेंगे और उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पूरी आजादी देंगे।

प्रस्ताव पर इस आशय का एक संशोधन पेश किया गया है कि प्रस्ताव तब तक मुल्तबी रखा जाये, जब तक कि मुस्लिम लीग विधान-परिषद् में सम्मिलित नहीं होती। हमें यह लक्ष्य न भूलना चाहिए कि हर एक काम के लिए समय हुआ करता है। अगर आज हम यह प्रस्ताव स्थगित रखते हैं तो फिर कब यह हमारे सामने आयेगा? हम इस बारे में निश्चित नहीं है कि मुस्लिम लीग कब विधान-परिषद् में शामिल होगी। हम आज यहां जब एकत्र हुए हैं तो क्या बिना कुछ किये-धरे ही यहां से उठ जायें? क्या हमें कम-से-कम अपनी आगे की कार्यवाही के लिए आज एक लक्ष्य नहीं निश्चित कर देना चाहिए? महज एक निधि-निर्माण कमेटी ही बनाकर उठ जायें? हमारे बन्धु हमें यह राय देते हैं कि हम प्रस्ताव पर विचार अभी आगे के लिए स्थगित कर दें। अगर वे यही चाहते थे कि मुस्लिम लीग की गैरहाजिरी में हम यहां कुछ न करें तो आखिर यहां आये किस लिए हैं?

हम अवश्य चाहते हैं कि मुस्लिम लीग हमें सहयोग दे। पर क्या हम आज उनके वर्तमान अभिलाषाओं और उद्देश्यों की पूर्ति में कुछ भी हाथ बंटा सकते हैं? हम भरसक कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग के उद्देश्य को किसी तरह नुकसान न पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव में इस बात का ध्यान रखा गया हैं हममें से बहुत ऐसे हैं जो इस बात के खिलाफ हैं कि प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायें। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद मुल्क की भलाई के लिए हिन्दु-मुस्लिम तनातनी के कारण प्रान्तों में उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार दिये जाने का विरोध करूंगा। बंगाल तथा और प्रान्तों में क्या हुआ? जो हुआ है, उसे हम भली-भांति जानते हैं अवशिष्ट अधिकार और राजनैतिक अधिकार (Political Rights) जिनसे देश की उन्नति और एकता में मदद मिल सकती है, केन्द्रीय या संघ सरकार के साथ ही होने चाहिए। पर यह प्रस्ताव अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को दे देता है, ताकि मुस्लिम लीग यह न कहे कि उनकी गैरहाज़िरी में हमने मनमाने ढंग से काम किया। इसके अलावा ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा प्रकाशित स्टेट पेपर ने भी जो इस परिषद् का आधार है अवशिष्ट अधिकारों (Residuary Powers) को प्रान्तों को देने की बात कही है। हमने इस व्यवस्था को इस आशा से मंजूर कर लिया कि इससे मुस्लिम लीग हमारे साथ मिल-जुल कर काम कर सकेगी। मुस्लिम लीग हमें सहयोग दे, इस बात के लिए जहां तक साध्य था हम आगे बढ़े। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इसके लिए हम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गए। क्योंकि मुस्लिम लीग का लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से बिलकुल प्रतिकूल है। और इससे हमारे भविष्य में काफी कठिनाइयां पैदा होंगी। लीग की सहयोग-प्राप्ति के लिए हमने अपने आदर्शों के प्रतिकूल भी बहुत-सी बातें मंजूर कर ली हैं अब हमें यह बन्द कर देना चाहिए और मुस्लिम लीग के साथ समझौते के लिए अपने बुनियादी उसूलों को नहीं भूल जाना चाहिए। मैं प्रस्ताव को स्थगित रखने के विरुद्ध हूं और मुझे विश्वास है कि प्रस्ताव के महत्त्व को सभा समझती है। दूसरे देशों की विधान-परिषदों ने अपने लक्ष्यों को सामने रखकर

[माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन]

ही अपना काम शुरू किया था। यदि आप प्रस्ताव को स्थगित रखते हैं तो दुनिया क्या सोचेगी? जब वे प्रस्ताव को जानेगे तो समझेंगे कि भारत स्वतंत्र होने जा रहा है, ब्रिटेन के खिलाफ सन् 1942 की ''भारत छोड़ो'' की लड़ाई अब हम जीतने जा रहे हैं यह प्रस्ताव स्वतंत्रता-प्राप्ति के मार्ग में बड़ा सहायक होगा। इसका मुल्तवी रखना मैं समझता हूं बुद्धिमानी का काम न होगा।

प्रस्ताव पर और दूसरे संशोधन भी हैं। प्रस्ताव में यह बात साफतौर पर कही गयी है कि समस्त सत्ता जनता के हाथ में होगी। कुछ लोगों का सुझाव है कि ''जनता'' की जगह ''काम करने वाली जनता'' रख दिया जाये। मैं इसके खिलाफ हूं। जनता शब्द से मतलब है, तमाम निवासियों का। मैं खुद किसानों का एक सेवक हूं। उनके साथ काम करना ही मेरे लिये एक बड़ा गौरव है। जनता शब्द काफी बोधगम्य है और इसमें सभी लोग शामिल हैं। अतः मेरी राय में उसके आगे कोई विशेषण न रखा जाना चाहिए। ऐसे भी संशोधन लाये गये हैं। जिनमें अनिवार्य शिक्षा का बात कही गई है। यह सब साधारण बातें हैं, जमाना बदल चुका है और प्रांतीय सरकारों ने ऐसी बातों के लिए कानून बना लिए हैं। इस समय बड़ी-बड़ी समस्याओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए। ये सब संशोधन बहुत जरूरी नहीं हैं और इन्हें उपस्थित न करना चाहिए।

जैसा मैं कह चुका हूं, बहुत-सी विपत्तियां झेलने के बाद हमें विधान बनाने का यह अवसर मिला है। सन् 1935 में हमें कुछ रियायतें मिली थीं पर हमने अपनी लड़ाई सन् 1942 तक जारी रखी। इन संघर्षों के फलस्वरूप आज हम यहां विधान बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे प्रयासों का क्या फल होगा हम नहीं जानते। हमारे पथ में अभी भी बहुतेरी बाधायें हैं लंदन से हमारे मित्र अभी भी राय भेजा करते हैं। किसी उसूल पर बोलते हुए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हमें परामर्श देते हैं कि हमें यह व्यवस्था (Formula) मंजूर कर लेनी चाहिए कि बहुमत को अपना विधान बनाना चाहिए और अल्पमत को हक है कि वह बहुमत द्वारा लगायी रुकावटों के लिए विशेष संरक्षण मांगे। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यद्यपि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हमें मदद देने की बात कहते हैं पर उनका असली अभिप्राय है हमारी राह में रुकावटें डालना। ब्रिटेन के साथ हमारे लम्बे सम्बन्धों का इतिहास बतलाता है कि हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव की सृष्टि अंग्रेजों ने की।

हिन्दू-मुस्लिम मनमुटाव की समस्या जिसका राग अंग्रेज अलापते हैं, वह तो उन्हीं की पैदा की हुई चीज है। उनके हिन्दुस्तान में पधारने के पहले यहां इस मनमुटाव का नामोनिशां भी न था। दोनों की सभ्यता एक थी और दोनों ही मित्रवत रहते थे। क्या कलेजे पर हाथ रखकर अंग्रेज कह सकते हैं कि वर्तमान भारतीय परिस्थति को उन्होंने नहीं पैदा किया है? और उन्होंने उसे बढ़ावा नहीं दिया है? जो लोग ब्रिटेन के बहकावे में आकर आज हमारा विरोध कर रहे हैं, वे हमारे

ही भाई हैं। अवश्य ही हम उनका सहयोग चाहते हैं। परन्तु उनको अपने साथ लेने के लिए हम उन बुनियादी उसूलों को ही कुर्बान नहीं कर सकते जिन्हें आज तक हम अपनाये रहे और जिनसे राष्ट्र का निर्माण होता है। सर स्टेफोर्ड हमें गृहयुद्ध से सावधान करते हैं और सीख देते हैं कि गृहयुद्ध बचाने के लिए हमें आपस में मिल जाना चाहिए। कोई भी देशभक्त यह न चाहेगा कि गृहयुद्ध हो और भाई-भाई का खून बहे। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस ने देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को मिलाने की सदा कोशिश की है। हमारे नेता साम्प्रदायिक झगड़ों में कभी नहीं पड़े। कांग्रेस ही एक मात्र ऐसा राजनैतिक संगठन है जिसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जैन, बौद्ध सभी संगठित हो सकते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव कांग्रेस नहीं मानती। यह कहना कि अमुक-अमुक प्रांत या वर्ग धर्म की बिना पर देश से अलग कर दिए जायें, धर्म की बात नहीं है बल्कि यह तो कोरी राजनीति है, ऐसी राजनीति देश की एकता को नष्ट कर देती है। हम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अन्य ब्रिटिश नेताओं से पूछते हैं: यदि आज से 100 वर्ष पहले या 25 ही वर्ष पहले आपके देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो आज आप कैसी हुकूमत रखते? हम अमेरिका से भी पूछते हैं यदि आपके मुल्क में भिन्न-भिन्न ईसाई सम्प्रदायों को पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो क्या आपके यहां उसी किस्म की गवर्नमेंट होती जो आज है? क्या फिर आपके मुल्क में निरन्तर गृहयुद्ध न हुआ होता? हमारे देश में गृहयुद्ध की सम्भावना तो ब्रिटिश हुकूमत ने पैदा की है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पुरानी चाल चल रही है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के वक्त में इसी मनोवृत्ति का आभास मिलता है। उनके द्वारा दिया हुआ भाष्य भी इसी बात पर जोर देता है कि भारतीय-संघ के भिन्न-भिन्न वर्गों को पूरा हक है कि वे अपने लिए जैसा विधान चाहें, बनावें। जैसा वे पहले कहते थे, आज भी कहते हैं कि प्रांतों को अधिकार है कि वह चाहे तो किसी ग्रुप में शामिल रहें या उससे बाहर हो जाये। पर साथ ही अपने वक्तव्य में वे एक ऐसी शर्त भी रख देते हैं जो, इस सम्भावना को—प्रांत अपने अधिकारों को काम में लावें—पहले से ही खारिज कर देती है। आप एक प्रांत को यह तो कहते हैं कि उसे हक है कि चाहे तो किसी वर्ग में शामिल हो या नहीं। पर साथ ही यह भी कहते हैं कि ग्रुप के सभी लोग विधान बनाने के लिए सम्मिलित होंगे। पश्चिमोत्तर सूबा प्रांत को पंजाब के साथ बंधना होगा और सिंध, बलूचिस्तान और आसाम को बंगाल के साथ बंधना होगा। इन प्रांतों का विधान ग्रुप बी और ग्रुप सी बनायेंगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान वाला गुट पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के लिए विधान बनायेगा और बंगाल आसाम के लिए। क्या यह ईमानदारी की बात है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रांत को हक है कि वह ग्रुप में रहे या अलग हो जाये। पर आप विधान ऐसा बना देते हैं जो प्रांत के गुट से बाहर निकल जाने की सम्भावना को ही खारिज कर देता है। मंत्रिमंडल के वक्तव्य में यह साफतौर पर कहा गया था कि गुट में शामिल होना प्रांतों की मर्जी पर है। वक्तव्य के अन्त में गुटों से

[माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन]

बाहर निकलने की स्वतंत्रता दे दी गई। वक्तव्य के प्रथम भाग का अर्थ यह है कि गुटबंदी के समय प्रांत को आजादी है वह उसमें शामिल हो या नहीं। हमने तो यही अर्थ समझा और इसीलिए कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया। पर अब यह कहा जाता है कि गुट बनते समय भी प्रांत को यह आजादी नहीं है कि वह गुट में शामिल न हो और न उसे यही अधिकार है कि वह अपना विधान खुद बनाये। विधान तो समूचे गुट के प्रतिनिधि मिल कर बनायेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम हिन्दुस्तान का विभाजन मंजूर कर लें और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत और आसाम को उन लोगों के हवाले कर दें जो खुल्लमखुल्ला यह कहते हैं कि वे भारत को दो भागों में विभक्त करने पर तुले हैं। गृहयुद्ध यदि अनिवार्य ही हो गया है तो हो पर गृहयुद्ध की धमकी से हम गलत काम करने पर लाचार नहीं किये जा सकते। बहुत सम्भव है कि भारत के एक कोने में गृहयुद्ध हो और हमें अंग्रेजों से भी लड़ना हो। वे हमें गृहयुद्ध की धमकी देते हैं। पर असल बात यह है कि वे हमारे बीच में गृहयुद्ध का बीज बो रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें ताकि वे हम पर हुकूमत कर सकें। मुझे यह सब कहने में दुख होता है। ब्रिटिश जनता के लिए मेरे मन में बड़ी इज्जत है। वे राजनैतिक मैदान में बहुत उन्नति कर चुके हैं और बुद्धिमान एवं स्वातंत्र्य प्रिय हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे मन में उनके लिए लेशमात्र भी घृणा नहीं है। मुझे इस बात पर बड़ी प्रसन्नता थी कि इंग्लैंड में एक नया जमाना आया है, वहां की हुकूमत मजदूर दल के हाथ में आ गई हैं और यह दल पुरानी नीति बदल देगा। गत सौ वर्षों से ब्रिटिश हुकूमत की नीति दूसरे मुल्कों के साथ स्वार्थ और चातुरी की रही है। और अपने अंदरूनी मामलों में वे बड़े उदार हैं और एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं अपने देशवासियों के लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों को दबाना या खसोटना वे बुद्धिमत्ता की बात समझते हैं टोरियों और कट्टरवादियों की हार और नई हुकूमत के आ जाने से यह आशा थी कि ब्रिटेन की नीति बिलकुल बदल जायेगी और उनकी वैदेशिक नीति सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर स्थगित होगी। पर मुझे यह देखकर बड़ा दु:ख होता है कि उनके हाल के कुछ वक्तव्यों का यही लक्ष्य रहा है कि भारतवासियों में मनमुटाव पैदा हो।

मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडल की योजना को मंजूर करके ही विधान-परिषद् में सम्मिलित हुई हैं पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि विधान-परिषद् समवेत होने के बाद अपना बिलकुल भिन्न मार्ग पकड़ सकती है। राजा लुइस के आमंत्रण पर फ्रांस में परिषद् समवेत हुई। जब उन्होंने देखा कि वे जो करना चाहते हैं, नहीं कर सकते तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र कार्यवाही प्रारम्भ की। अपनी आर्थिक मांग स्वीकार कराने के लिए राजा ने उन्हें आमंत्रित किया था पर उनका इरादा समझ कर उसने परिषद् को भंग करना चाहा पर परिषद् ने विघटित होने से इनकार कर दिया। हमारी परिषद् ब्रिटिश हुकूमत के आमंत्रण पर समवेत हुई है पर हम आजाद हैं कि अपनी इच्छानुसार कार्य संचालन करें।

हममें से कुछ इसके खिलाफ थे कि कांग्रेस परिषद् में शामिल हो। वे ब्रिटिश कूटनीति से डरते थे पर कांग्रेस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। मेरी विनम्र राय भी यही थी कि हमें इसमें शरीक होना चाहिए। मुझे अपने साथियों की शक्ति और दृढ़ता में विश्वास था। यह अवसर खोने लायक नहीं था। यदि ब्रिटेन की अड़ंगेबाजी के कारण हम कामयाब न हुए तो कम-से-कम दुनिया को तो हम यह बता सकेंगे कि हम कैसा विधान चाहते हैं। हमारे सभापति ने अपने भाषण में बहुत-सी अच्छी बातें कही हैं। उनके मुख से यह सुनकर कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के हम पाबन्द न होंगे, हमारा हौसला बढ़ गया है।

इस सभा में ब्रिटिश हुकूमत के इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं कर सकते कि भारत वर्गों में विभक्त कर दिया जाये और प्रान्तों का विधान बनाने का अधिकार उन्हें दे दिया जाये जो भारत को विभक्त करने पर तुले हुए हैं। मैं यह सब कहना नहीं चाहता पर यह कह देना मुझे अपना फर्ज मालूम पड़ता है कि मुस्लिम लीग की ओर से दावे पेश करने में ब्रिटिश हुकूमत अपनी सच्चाई की कमी जाहिर करती है।

किसी ने यह ठीक कहा है कि लीग ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोर्चा है। पंडित नेहरू ने अभी उस दिन कांग्रेस में कहा था कि दर्मियानी गवर्नमेंट में शामिल होने वाले लीग-सदस्य सम्राट की पार्टी की तरह आचरण कर रहे हैं। तथ्य यह है कि लीग को ब्रिटिश हुकूमत की ओर से धोखा दिया जा रहा है। वे हमारे देशवासी हैं, हमारे भाई हैं और उनके साथ समझौता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज ब्रिटिश हुकूमत लीग को मोर्चा बनाकर उसके पीछे से हम पर तीर चला रही है। हम ब्रिटिश वार को खूब समझते हैं और हमें अपनी हिफाजत करनी है। जो विधान हम बनायेंगे, उसमें यह कोशिश करेंगे कि हम उन तीरों से बच सकें। ऐसा करने में यदि हमें ब्रिटिश हुकूमत और उसके हिमायतियों से लड़ना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमें पक्का विश्वास है कि हम सब बाधाओं पर विजय पायेंगे। यह हमारे लिए परीक्षा-काल है। ज्यों-ज्यों सफलता सन्निकट आती जाती है तरह-तरह की कठिनाइयां पैदा होती जाती हैं। जब योगी योग के ऊंचे स्तर पर पहुंचता है तो प्रेतात्मायें उसे और परेशान करती हैं। वे उसे धमकाती हैं और धोखा देने की कोशिश करती हैं। हम सफलता के निकट पहुंच गये हैं और भिन्न-भिन्न दुष्प्रवृत्तियां हमें अपने उद्देश्य से विचलित करने के लिए आज सर उठा रही हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके जाल में न पड़ें और न उनसे भयभीत हों।

विधान बनाने में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि समुन्नति की चाहे जो योजना बनावे, हम भारत को विभक्त करने का प्रस्ताव कभी स्वीकार न करेंगे। भारत एक रहना चाहिये। इस तरह अपनी प्राचीन सभ्यता की रक्षा करते हुये हम आगे बढ़ सकते हैं और विश्व में शांति स्थापना में बड़ा हिस्सा ले सकेंगे।

***सभापतिः** प्रस्ताव पेश हो चुका है और इसका समर्थन भी हो गया है। बहुत से संशोधनों की सूचना हमें मिली है। मैं समझता हूं चालीस से भी ज्यादा संशोधन मेरे पास आ चुके हैं और संशोधनों के लिए समय देना मैं आवश्यक नहीं समझता। आये हुये बहुसंख्यक संशोधनों को देखते हुए मैं समझता हूं कि संशोधनों के इच्छुक सदस्यों का दृष्टिकोण आ चुका है।

11 बज चुके हैं। और मेरी समझ में हम लोग उठ सकते हैं। उठने के पेश्तर मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि कल से सम्भव है कि वक्ताओं पर समय की पाबन्दी लगाने का अप्रिय काम मुझे करना पड़े। पहला दिन होने के कारण आज हस्तक्षेप करना मैंने ठीक नहीं समझा और वक्ताओं को पूरा समय दिया।

कल शनिवार है और मैं नहीं चाहता कि कल सभा बैठे। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने यह नियम बना दिया कि शनिवार को बैठक ही न होगी। कल तो हम इसलिए समवेत न होंगे कि रूल्स कमेटी (नियम-निर्धारिणी-समिति) में भाग ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस समिति का काम शीघ्र समाप्त हो जाये। अतः इस समिति के सदस्यों को पूरा समय देने के लिये ही कल सभा न बैठ सकेगी। हम सोमवार को दोपहर के तीन बजे बैठेंगे। प्रातः नहीं। सभा सोमवार को तीन बजे तक स्थगित होती है।

तदनन्तर सभा सोमवार, 16 दिसम्बर, सन् 1946 ई. को
तीन बजे तक स्थगित की गई।